1

उद्देश्य, कार्य, स्कीमें तथा संगठनात्मक ढांचा

कोयला मंत्रालय के महत्वपूर्ण उद्देश्य कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के इसके लक्ष्य से जुड़े हैं जिससे कि पारिस्थितिकी के अनुकूल सतत रूप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग तथा सरकारी कंपनियों और अत्याधुनिक, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाकर केप्टिव खनन मार्ग के माध्यम से कोयला उत्पादन बढ़ाने के प्रमाणित संसाधनों को बढ़ाने पर बल देकर अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाने एवं कोयले की त्वरित निकासी के लिए आवश्यक संरचना विकसित करने के समग्र उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

1.1 उद्देश्य

- कोयले के उत्पादन और उठान, ओबीआर रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना ।
- कोयला और धुले हुए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवसंरचना का विकास।
- पर्यावरणीय बाध्यताओं को न्यूनतम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पहलें ।
- संसाधन आधार को बढ़ाने के लिए अन्वेषण में वृद्धि करना ।
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता ।
- अंतर–मंत्रालयी मुद्दों का शीघ्र और संयुक्त रूप से समाधान ।
- कोल इंडिया की कार्य कुशलता को बेहतर बनाना ।
- निजी निवेशों को आकर्षित करना ।
- नए कोयला ब्लॉकों को पारदर्शी ढंग से आवंटित करना ।

1.2 कार्य

- भारत में कोकिंग और नॉन कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन को सुकर बनाना।
- कोयला उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमतों के निर्धारण से संबंधित सभी मामले।

- उन वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग उत्तरदायी है, अन्य कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन ।
- कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973; खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957; कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957; कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948; खानों से उत्पादित तथा प्रेषित कोक और कोयले पर लेवी तथा उत्पाद शुल्क एकत्रित करने के लिए खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियमों; कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला तथा लिग्नाइट व रेत भराई से संबंधित अन्य संघ कानूनों का प्रशासन तथा ऐसे प्रशासन के प्रासंगिक कार्य ।

1.3 स्कीमें

- अनुसंधान और विकास ।
- क्षेत्रीय अन्वेषण ।
- विस्तृत ड्रिलिंग
- पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण ।
- कोयला खानों में संरक्षण तथा सुरक्षा ।
- कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास ।

1.4 संगठनात्मक ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव, चार संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, सात निदेशक/उप सचिव, एक तकनीकी निदेशक, नौ अवर सचिव, बीस अनुभाग अधिकारी, एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक लेखा नियंत्रक तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं।

1.5 कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कोयला कंपनियांः

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोल इंडिया लि. हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का महारत्न श्रेणी का उपक्रम है तथा इसकी आठ सहायक कंपनियां हैं नामतः–

- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, झारखण्ड
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची, झारखण्ड

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संकतोड़िया, प. बंगाल
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर, ओड़िशा
- सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, रांची, झारखण्ड

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित हैं तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं। असम तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में कोयला खानों का नियंत्रण सीआईएल द्वारा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड यूनिट के अंतर्गत सीधे किया जाता है।

1.6 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड है, जो एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है। कंपनी लिग्नाइट के दोहन तथा उत्खनन, तापीय विद्युत का उत्पादन एवं कच्चे लिग्नाइट की बिक्री करती है।

1.7 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में एक अन्य कोयला कंपनी अर्थात सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) है जो तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के बीच क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी पूंजी वाला एक संयुक्त उद्यम है।

1.8 कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संगठन

1.8.1 कोयला नियंत्रक संगठनः

कोयला नियंत्रक संगठन कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, कोठागुडेम, सम्बलपुर और आसनसोल में स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख एक जीएम/डीजीएम स्तर का कार्यपालक होता है जो विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्य करता है और उसकी सहायता के लिए अन्य तकनीकी कर्मचारी होते हैं। कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित संविधियों से उत्पन्न सांविधिक कार्यों को करता हैः–

- कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 तथा कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975
- सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 (1953 का 32) तथा सांख्यिकी संग्रहण (केन्द्रीय) नियमावली, 1959
- कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।

इसके अतिरिक्त, कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य करता हैः–

- केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की प्रगति की मॉनीटरिंग करना।
- वाशरियों की मॉनीटरिंग करना।
- विभिन्न कोयला उत्पादों की बिक्री की मॉनीटरिंग करना।
- खान बंद करने संबंधी योजनाओं के प्रस्तुत किए जाने पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

कोयला नियंत्रक के कार्यालय में एक सांख्यिकीय विंग है जो नियमित आधार पर कोयला आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है । भारत सरकार में यह कोयला आंकड़ों का एक प्रमुख स्रोत है ।

1.8.2 कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ):

कोयला खान भविष्य निधि संगठन केन्द्रीय संविधि– कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 46) के अंतर्गत गठित एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह एक स्वायत्तशासी सांविधिक संगठन है जिसका मुख्यालय धनबाद में है। कोयला उद्योगों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादक राज्यों में इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । इसमें निजी क्षेत्र के कोयला कामगार शामिल हैं। अतः संक्षेप में, सीएमपीएफओ को कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम,1948 तथा इसके अधीन बनाई गई स्कीमों को प्रशासित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, नामतः

- कोयला खान भविष्य निधि स्कीम।
- कोयला खान पेंशन स्कीम।
- कोयला खान जमा संबद्ध बीमा स्कीम।